5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निग/3074/I/15

रमेशचन्द्र दुबे पुत्र श्री श्रीकृष्ण दुबे आयु 50 साल व्यवसाय कृषि निवासी बासौदा जिला विदिशा

--- -- निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

सुनील पुत्र श्री श्रद्धानन्द निवासी बासौदा जिला विदिशा -- अनावेदक

दिनांक 10-9-15 को श्री आर० बी० शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत।

10-9-15 50

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 22-6-2015 एवं सीमांकन दिनांक 20-6-2015 न्यायालय तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 166/अ-12/2014-15 व उन्वान सुनील कुमार बनाम पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध

- -

10-9-15 आर०बी० शर्मा

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार है :-

(1) यहकि, रिस्पोन्डेन्ट द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष सीमांकन बाबत आवेदन ग्राम रजोदा तहसील बासौदा जिला विदिशा के सर्वे नम्बर 75/1 रकबा 1.787, 75/2/1 रकबा 1.254 एवं 75/2/2 रकबा 1.887 बाबत सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 20-6-2015 को सीमांकन किया गया एवं दिनांक 22-6-2015 को सीमांकन की पुष्टि की जाकर आदेश पारित किया गया।

(2) यहकि, आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा सीमांकन दिनांक 20-6-15 पर सीमांकन कार्यवाही विधि विरुद्ध होने के कारण आपत्ति की गयी।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3074-एक/15 **जिला - विदिशा**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3) (36)	